केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/294 दिनांक: 19.08.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00291
CICOM/R/2016/00742

अपीलकर्ता : श्री बलबिंदर सिंह,
गांव – डोड जैतो,
फरीदकोट – 151205,
पंजाब ।

निर्णय की तारीख : 19.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.05.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	20.06.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	135548/15.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	418/18.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 30.03.2016 को प्रेषित द्वितीय अपील के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि उनका अपील राज्य सूचना आयोग से संबंधित होने के कारण उन्हें वापस कर दिया गया है ।

2. अपीलकर्ता ने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अभियोग लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान की जाए तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं जुर्माना लगाया जाए । संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग से संबंधित होने के कारण दिनांक 13.05.2016 को मूल रूप में उन्हें वापस कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा उक्त अपील से संबंधित कोई अन्य सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं है । उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय/विभाग/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रशासनिक/न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।